संख्या- 23/2017/1693/बयालिस-2017-126(एस0पी0)/75 टी0सी0

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2017**

विषय :- पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 733/2016-17, दिनांक 23 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0- 9 (भाग- 1) प्रपत्र संख्या- 1670/बयालिस-2017, दिनांक 24.08.2017 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार राशि एवं पुरस्कार वितरण के दौरान होने वाले सम्बन्धित विविध व्यय के भुगतान हेतु उक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 20.00 लाख (रू0 बीस लाख मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित की जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष- 2017-2018 में उपल्ब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को लम्बे समय तक पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-10-विशिष्ट खिलाडियों को प्रदेशीय पुरस्कार-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(मो0 इफ्तेखारूद्दीन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1693/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4)- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1(तीन प्रतियों में)/2
(6)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
(7)- नियोजन अनुभाग- 4
(8)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0- 9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम- 22 **वित्तीय वर्ष- 2016-17**

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खेलकूद निदेशालय-01-वेतन 220400001030001	2513.10	20.00	20.00	20.00	2493.10
योग :-	**2513.10**	**20.00**	**20.00**	**20.00**	**2493.10**

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8$11)
7	8	9	10	11	12
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-10-विशिष्ट खिलाडियों को प्रदेशीय पुरस्कार 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 220400104100020	40.00	60.00	20.00	20.00	60.00
योग :-	**40.00**	**60.00**	**20.00**	**20.00**	**60.00**

(1) स्तम्भ- 3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

1- वित्तीय वर्ष- 2017-18 में लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-001-निदेशक तथा प्रशासन-01-वेतन मद में रू0 2513.10 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। इस मद में रू0 20.00 लाख की बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- स्तम्भ- 8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ- 9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

वित्तीय वर्ष- 2017-18 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-10-विशिष्टि खिलाडियों को प्रदेशीय पुरस्कार 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में व्यवधिक्य का मुख्य कारण निम्नवत् है :-

1- खिलाडियों को रू0 3,11,000/- की पुरस्कार राशि की दर से पुरस्कार हेतु लगभग रू0 52,87,000/- की आवश्यकता होगी। उक्त मद में वित्तीय वर्ष- 2017-18 में रू0 40,00,000/- की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रू0 12,87,000/- की और आवश्यकता होगी।

2- मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वितरण किया जाना प्रस्तावित है जिस पर होने वाला विविध व्यय :-

लक्ष्मण जी की कॉस्य प्रतिमा, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा प्रशस्ति पत्र, खिलाडियों का संक्षिप्त परिचय पुस्तिका की छपाई पर व्यय, खिलाडियों को 01 दिन पूर्व आवास, भोजन एवं नाश्ते पर होने वाला व्यय, खिलाडियों के स्थानीय आवागमन हेतु वाहन की व्यवस्था पर होने वाला व्यय, टेन्ट, ए0सी0 कूलर पंखे, कुर्सियॉ, साज-सज्जा साउण्ड सिस्टम-जे0बी0एल0 गुलदस्ता आदि की व्यवस्था पर होने वाला व्यय, मोमेटो पर होने वाला व्यय, कक्ष का किराया एवं खान-पान पर व्यय आदि की वयव्स्था पर लगभग रू0 7,13,000/- की और आवश्यकता हेागी।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव,
खेल विभाग।

संख्या- आर0ई0- 30/ई-5/दस-2017, दिनांक : 24 अगस्त, 2017

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव।
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 1670/बयालिस-2017-126(एस0पी0)/75 टी0सी0, दिनांक : 24 अगस्त, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 (तीन प्रतियों में)
5- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in